न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 8/2025

अनवान : –

1. पवन पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी सागडा तहसील भादरा।
2. चन्द्रकला पत्नी राकेश जाति जाट निवासी सागडा तहसील भादरा।
3. कविता पुत्री राकेश जाति जाट निवासी सागडा तहसील भादरा।
4. पूजा पत्नी राकेश जाति जाट निवासी सागडा तहसील भादरा।

:–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
111, 128 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री सुरेन्द्र बैनीवाल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 3/7/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सागडा के खाता सं0 11/10 के मु0 न0 1 के किला न0 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, मु0 न0 2 के किला न0 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 कुल 2.4550है0 जिसमें बारानी 2.416है0 गै0 मु0 रास्ता 0.039है0 संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

ग्राम सागडा के मु0 न0 2 के किला न0 1, 10, 11 की भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है प्रार्थीगण ने अपनी कृषि का सीमा ज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार राजस्व भादरा के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई व निशानदेही दी गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य पडौसियों की कब्जा काश्त पायी गई। रिपोर्ट सलंग्न पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने रिपोर्ट पेश की व पटवारी हल्का की दैनिक डायरी की प्रति पेश की गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा सागडा के खाता सं0 11/10 के मु0 न0 1 के किला न0 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, मु0 न0 2 के किला न0 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 कुल 2.4550है0 जिसमें बारानी 2.416है0 गै0 मु0 रास्ता 0.039है0 संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है प्रार्थीगण ने अपनी कृषि का सीमा ज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार राजस्व भादरा के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई व निशानदेही दी गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य पडौसियों की कब्जा काश्त पायी गई है। अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पुख्ता पैमाईश चारों सीमाओं पर पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त का कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:17:32 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा सागडा के खाता सं0 11/10 के मु0 न0 1 के किला न0 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, मु0 न0 2 के किला न0 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 कुल 2.4550है0 जिसमें बारानी 2.416है0 गै0 मु0 रास्ता 0.039है0 संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि की आपके स्तर पर कमेटी गठित की जाकर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की कृषि भूमि के आस पडौस के काश्तकारों की मौजूदगी में पैमाईश करवाई जाकर सीमाज्ञान करवाया जावे व साथ ही सीमाज्ञान उपरान्त प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त की भूमि की चारों सीमाओं की पत्थरगढी करवाई जाना सुनिश्चत करें।

निर्णय आज दिनांक 3/7/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:17:32 IST
Reason: SelfAttested